माननीय उप मुख्य (खान एवं भूतत्व) मंत्री, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक–22.01.2026 को आहूत बालूघाटों के संचालन के संबंध में अन्तर्विभागीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः–

1. **श्री मनेश कुमार मीणा, निदेशक, खान**
2. **श्री आलोक कुमार, सदस्य सचिव, SEIAA, Bihar**
3. **श्री विश्वजीत कुमार, उप सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग।**
4. **श्री आनन्द प्रकाश, सहायक निदेशक (मु0)।**
5. **श्री विकास कुमार पासवान, सहायक निदेशक (मु0)।**
6. **श्री राजेश कुमार कुशवाहा, सहायक निदेशक (मु0)।**
7. **श्री शम्भू प्रसाद साहू, खनिज विकास पदाधिकारी (मु0)।**
8. **श्री मनोरंजन कुमार, क्षेत्रीय पदाधिकारी, BSPCB**
9. **श्री ए0के0 गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, BSPCB**
10. **श्री चन्दन कुमार, तकनीकी पदाधिकारी, SEIAA, Bihar.**

सर्वप्रथम माननीय उप मुख्य (खान एवं भूतत्व) मंत्री द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् बिहार राज्य में बालूघाटों के वर्त्तमान संचालन की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गयी। माननीय उप मुख्य (खान एवं भूतत्व) मंत्री द्वारा SEIAA एवं बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के प्रतिनिधि से विभिन्न वैधानिक अनापत्तियाँ यथा EC/CTE/CTO प्राप्त करने की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई।

निदेशक, खान द्वारा राज्यान्तर्गत बालूघाटो के संबंध में कुल– 380 बालूघाट नीलामित होने तथा उनमें 189 बालूघाट विभिन्न स्तरों पर वैधानिक अनापत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति के कारण असंचालित होने से अवगत कराया गया। साथ ही राज्य सरकार को वर्तमान वित्तीय वर्ष में निर्धारित राजस्व लक्ष्य प्राप्त किये जान हेतु सभी असंचालित बालूघाटों को संचालित किया जाने आवश्यकता बतायी गयी। इस संबंध में बैठक में निम्न निदेश दिये गयेः–

1. नियमावली में निर्धारित समय–सीमा के अन्दर सभी बंदोबस्तधारी से वैधानिक अनापत्ति प्राप्त करने हेतु सक्ष्म प्राधिकार के समक्ष आवेदन समर्पित कराने एवं वांछित शुल्क का भुगतान कराये जाने हेतु में निदेशित किया गया।

(अनुपालन :– सभी सहायक निदेशक / खनिज विकास पदाधिकारी)

2. निर्धारित समय–सीमा के अन्दर बालूघाटों के संचालन से संबंधित अनापत्तियाँ प्राप्त करने की समीक्षा/अनुश्रवण प्रत्येक सप्ताह जिला स्तर पर संबंधित समाहर्त्ता द्वारा किया जायेगा।

(अनुपालन :– सभी जिला समाहर्त्ता)

3. पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) के आवेदनों का निस्तारण निर्धारित समय–सीमा के अन्दर राजस्वहित में यथाशीघ्र कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :– सदस्य सचिव SEAC/SEIAA, Bihar)

4. SEAC एवं SEIAA, Bihar के प्रस्तावित बैठक से पहले जितने बालूघाट के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव समर्पित हो जाते हैं, उन सभी प्रस्ताव को अगली बैठक के एजेंडा में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाय।

(अनुपालन :– सदस्य सचिव SEAC/SEIAA, Bihar)

5. खान एवं भूतत्व विभाग के मुख्यालय स्तर से SEAC एवं SEIAA, Bihar की बैठक में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रयोजनार्थ प्रस्तावित एजेंडा का अनुश्रवण हेतु नोडल पदाधिकारी नामित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :– श्री आनन्द प्रकाश,सहायक निदेशक (मु0))

6. CTE/CTO के आवेदनों का निष्पादन हेतु राजस्वहित में प्रत्येक सप्ताह अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :– सदस्य सचिव BSPCB, Bihar)

7. बालूघाटों के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु बंदोबस्तधारी द्वारा Final EIA प्रतिवेदन समर्पित किये जाने के उपरांत यथाशीघ्र प्रस्ताव को बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद को आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाय।

(अनुपालन :– सदस्य सचिव SEAC/SEIAA, Bihar)

8. वर्त्तमान में बालूघाटों के प्रयोजनार्थ पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु Payment note generate करने तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपलोड किये गये Payment Receipt का सत्यापन/आवश्यक कार्रवाई यथाशीघ्र किया जाय।

(अनुपालन :– सदस्य सचिव BSPCB, Bihar/PCC)

9. SEIAA, Bihar में लंबित ToR एवं पर्यावरणीय स्वीकृति तथा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद में लंबित CTE/CTO की सूची 03 दिनों के अन्दर संबंधित प्राधिकरण को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :– श्री आन्नद प्रकाश, सहायक निदेशक, (मु0)/
राहुल कुमार महतो, खान निरीक्षक (मु0))

10. बालूघाटों के प्रयोजनार्थ पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की प्रक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने हेतु सभी समाहर्त्ता को पत्र के माध्यम से सूचित करने का निदेश दिया गया, ताकि पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने में अनावश्यक विलम्ब न हो।

(अनुपालन :– श्री आन्नद प्रकाश, सहायक निदेशक, (मु0))

11. पर्यावरणीय स्वीकृति एवं CTE/CTO निर्गत करने के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम समयावधि को राजस्वहित में युक्तिसंगत कम करने हेतु माननीय उप मुख्य (खान एवं भूतत्व) मंत्री के स्तर से माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को एवं सचिव, खान एवं भूतत्व, बिहार स्तर से सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :– श्री आन्नद प्रकाश, सहायक निदेशक, (मु0))

निदेश दिया गया कि पर्यावरणीय स्वीकृति तथा अन्य वैधानिक अनापत्ति की प्रक्रिया में अन्तर्विभागीय समन्वय को सुदृढ़ करते हुए समयबद्ध रूप से वैधानिक अनापत्तियो का निषपादन सुनिश्चित किया जाय।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/--
(विजय कुमार सिन्हा)
उप मुख्य (खान एवं भूतत्व) मंत्री

सं0सं0:– 02/एम0एम0 (बा0)–55/2024–1263/एम0, पटना, दिनांक :–16/02/26
प्रतिलिपि :– माननीय उप मुख्य (खान एवं भूतत्व) मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/सदस्य सचिव, SEIAA/सदस्य सचिव, SEAC/सदस्य सचिव, BSPCB/मुख्यालय स्तरीय सभी पदाधिकारी/आई0टी0 प्रबंधक, खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/02
निदेशक, खान